

911
1125

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

46

3-17-83-3-1

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 1985.

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त मंत्रागण्युक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय:— "मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985."

सं. प्र. वि. का सं. क्र. 216-384-1(3)-74, दिनांक 23 मार्च, 1974.

सं. प्र. वि. का सं. क्र. 216-384-1(3)-74, दिनांक 23 मार्च, 1974. "मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों के अर्थ में उनमें से एक के स्थान पर "मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985" लागू किए गए हैं। इस पत्र के माध्यम इन नियमों की प्रति मंगलन के माध्यम से उन्हें प्रत्येक के लिए प्रेषित की जा रही है। यह नियम भी पूर्व के नियमों की भांति दिनांक 2 मार्च, 1975 से लागू किए गए हैं।

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 1985.

सं. प्र. वि. का सं. क्र. 3-17-83-3-1

प्रतिभागि—

1. विधायक, उच्च-न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
मंत्रागण्युक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
सचिव, म. प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
सचिव, पारदर्शिता सेवा मंडल, म. प्र. भोपाल.
3. अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी चयन/तृतीय वर्ग आरक्षण कर्मचारी मंत्रालय के तहत कर्मचारी चयन, म. प्र. भोपाल.
4. संचालक, सैनिक कल्याण, म. प्र. भोपाल
5. सचिव, स्वायत्त/प्रशासन/प्रभिलेख शाखा, म. प्र. सचिवालय, भोपाल.
6. मंत्रागण्युक्त/समस्त मंत्रागण्युक्त/राज्य मंत्रागण्युक्त के निज सचिव की ओर सूचनाार्थ.
7. सचिव/विशेष सचिव / उपसचिव, म. प्र. वि.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 1986

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 1985

35

एफ. नं. सी-3-17-83-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना नं. सी-3-17-83-3-एक, दिनांक 2 नवम्बर 1985 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एन. श्रीवास्तव, उपनिवेश.

Bhopal, the 2nd November 1985

F. No. C.3-17-83-3-I.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules for regulating the reservation of vacancies in the State Civil Services and posts, Class III and Class IV for ex-servicemen, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1985.

(2) They shall be deemed to have come into force on the second day of March, 1975.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Armed Forces of the Union" means the Naval, Military or Air Forces of the Union and includes the Armed Forces of the Former Indian States;

(b) "Disabled Ex-servicemen" means the Ex-servicemen who while serving the Armed forces of the Union or Joint Armed Forces of Former Indian States was disabled in operations against the enemy or in disturbed areas.

(c) "Ex-servicemen" means a person who has served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Joint Armed Forces of the former Indian States, for a continuous period of not less than six months and—

(i) has been released, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of mis-conduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(ii) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid,

(iii) has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(d) "reserved vacancies" means vacancies reserved under rule 4 for being filled by ex-servicemen.

3. Application.—These rules shall apply to all the State Civil Services and posts, Class III and Class IV.

4. Reservations of vacancies.—(1) ~~Nine per cent~~ of the vacancies in each of the categories of Class III posts and of such posts in each Class III service, and ~~fourteen per cent~~ of the vacancies in each of the categories of Class IV posts and of such posts in each Class IV service including permanent vacancies filled initially on temporary basis and temporary vacancies which are likely to be made permanent and/or are likely to continue for three months and direct recruitment in any year shall be reserved for—

92

भाग ४ (ग)
अन्तिम नियम
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 1985

श्री-3-17-83-3-एफ-1-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश
एतद्द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण
रने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा
श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 है;

ये 2 मार्च, 1975 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "संघ को सशस्त्र बल" से अभिप्रेत है नौ सेना, थल सेना या वायु सेना और उसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सशस्त्र बल सम्मिलित हैं;
- (ख) "निशक्त भूतपूर्व सैनिकों" से अभिप्रेत है ऐसा भूतपूर्व सैनिक जो संघ के सशस्त्र बल में या भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल में सेवा करते हुए, शत्रु के विरुद्ध या उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में सैन्य कार्यवाही में निशक्त हो गया था;
- (ग) "भूतपूर्व सैनिकों" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर-लड़ाकू) में कम से कम लगातार छह मास की कालावधि तक सेवा की हो और—
- (गक) जिस स्वयं के निवेदन पर या अचचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लविस्त रहने तक रिजर्व में अन्तरित किया गया हो; या
- (गख) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छह मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो;
- (गग) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।
- (घ) "आरक्षित रिक्तियों" से अभिप्रेत है भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी जाने के लिये नियम 4 के अधीन आरक्षित रिक्तियां।

3. लागू होना—ये नियम राज्य की समस्त सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी को लागू होंगे।

4. रिक्तियों का आरक्षण—(1) ऐसी स्वयं की रिक्तियों को, जो आरम्भ में अस्थायी आधार पर भरी गई हों और ऐसी अस्थायी रिक्तियों को, जिनके स्वयं किये जाने की संभवना हो और/या जिनके तीन मास तथा उससे अधिक कालावधि तक बने रहने की संभवना हो, भविष्य काल में हुये किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी पदों के प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग में तथा प्रत्येक तृतीय श्रेणी पदों का तीस प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी पदों के प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा में पदों का अर्ध प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने के लिये आरक्षित होगा।

परन्तु भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों के किसी प्रवर्ग में इसमें विनिर्दिष्ट आरक्षण के प्रतिशत में किसी भी एक भरती वर्ष में उस सीमा तक रिक्तियों की आवेगी जिस तक कि भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिये आगे ले जाये गये आरक्षणों सहित) तथा साथ ही साथ किन्हीं अन्य प्रवर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या उस वर्ष के प्रवर्ग में भरे गये पदों में रिक्तियों के पञ्चम प्रतिशत से, यथा स्थिति, कम या अधिक हो।

परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण में वृद्धि के मामले में उनके लिये इस प्रकार उपलब्ध कराई गयी रिक्तियों का उपयोग पहिले निश्चित भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिये किया जायगा और यदि ऐसी कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं होतीं होंगी तब अन्य भूतपूर्व सैनिकों के लिये उपलब्ध कराई जायेंगी।

परन्तु यदि किसी भूतपूर्व सैनिक का, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो, चयन कर लिया जाता है तो उसका चयन की गणना आरक्षण की निर्धारित संपूर्ण संख्या, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये उपबंधित की गई हो, के विरुद्ध की जायेगी.

(3) खुली प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप अन्यथा भरे जाने वाले किसी पद में किसी भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित कोई भी रिक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी सामान्य अभ्यर्थी में तब तक नहीं भरी जायेगी जब तक कि उक्त प्राधिकारी ने —

- (एक) रोजगार कार्यालय से (जहां रोजगार कार्यालय में अधिधाचना की गई है) अनुपलब्धता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो ;
- (दो) पुनर्वासि महानिदेशक को निर्देश करके किसी यथोचित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता मत्वापित न कर ली हो तथा उन आशय का एक प्रमाणपत्र अभिलिखित न कर लिया हो; और
- (तीन) राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया हो.

5. आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबन्ध.—राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हों या अनारक्षित हों, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार काम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उसपद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों में अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह, आयु सीमा से संबंधित शर्तों को पूरा करता है.

6. शैक्षणिक अर्हता के संबंध में विशेष उपबन्ध.—(1) चपरासी, दफ्तरी, जमादार तथा अभिलेख छानने वाले (रिकार्ड सार्टर) के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा में रहा हो, ऐसे पदों के संबंध में विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यदि कोई हो, से छूट दी जायेगी.

(2) तृतीय श्रेणी पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में जो संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम तीन वर्षों सेवा में रहे हों तथा जो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उनके अनुभव तथा अन्य अर्हताओं का ध्यान में रखते हुये अन्यथा विचार योग्य तथा उपयुक्त पाये गये हों, नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को, जहां ऐसी अर्हता, मिडिल स्कूल परीक्षा या कोई निम्न परीक्षा उत्तीर्ण होना विहित हो, शिथिल कर सकेंगा.

(3) तृतीय श्रेणी पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति को जो अंशतः सीधी भरती द्वारा तथा अंशतः पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भरी जाना हो जहां सीधी भरती द्वारा नियुक्ति के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक या तकनीकी अर्हता, पदोन्नति या स्थानान्तरण के लिये विहित की गई उस अर्हता में अधिक हो, वहां भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यह समझा जायेगा कि वह विहित शैक्षणिक या तकनीकी अर्हता पूरी करता है यदि वह—

- (एक) उस पद पर, जिससे कि प्रस्तावित पद पर पदोन्नति या स्थानान्तरण किया जाना अनुज्ञात किया गया है, सीधी भरती के लिये विहित शैक्षणिक या तकनीकी अर्हता पूरी करता है ; और
- (दो) संघ के सशस्त्र बलों में कार्य का उसी प्रकार के अनुशासन में तथा उतने ही वर्षों का वही अनुभव रखता हो, जो कि पदोन्नत या अन्तरित किये गये व्यक्तियों के लिये विहित किया गया हो.

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिये तीन वर्षों की कालावधि की गणना करने में सेवा की किसी भी ऐसी कालावधि को, जिसके दौरान किसी भूतपूर्व सैनिक ने जब कि वह सिविल विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वायत्त संगठन में, चाहे वह केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन हो, या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में तक्यानी पद या पदों पर मेवारत रहा हो, संघ के सशस्त्र बलों में की गई सेवा की कालावधि में जोड़ दिया जायेगा.

7. भरती नियमों का संशोधन.—राज्य सरकार के अधीन तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पदों तथा सेवाओं के व्यक्तियों की भरती को विनियमित करने वाले समस्त नियम इन नियमों के उपबन्धों के अधीन होंगे और तदनुसार उनका अर्थ लगाया जायेगा.

8. निर्वाचन.—यदि इन नियमों के निर्वहन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो प्रश्न का राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जायेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा.

Provided that the percentage of reservation specified herein for ex-servicemen in a category of posts shall be increased or decreased in any one recruitment year to the extent to which the total number of vacancies reserved for ex-servicemen, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the carried forward reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) and for any other categories taken together falls short or is in excess, as the case may be, of fifty per cent. of the vacancies in that category of posts filled in that year:

Provided further that in case of an increase in the reservation for the ex-servicemen under the preceding proviso, the additional vacancies so made available for them shall be utilised first for the appointment of disabled ex-servicemen and if any such vacancies still remain unfilled thereafter the same shall then be made available to other ex-servicemen.

(2) Out of the vacancies reserved for being filled by ex-servicemen, vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with such orders as are issued in this behalf by the State Government from time to time:

Provided that if any ex-servicemen belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe is selected, his selection shall be counted against the overall quota of reservations that shall be provided for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time.

(3) No vacancy reserved for ex-servicemen in a post to be filled otherwise than on the results of an open competitive examination, shall be filled by the appointing authority by any general candidate, until and unless the said authority,—

- (i) has obtained a 'Non-availability Certificate' from the employment exchange (where a requisition is placed on an employment exchange);
- (ii) has verified the non-availability of a suitable candidate by reference to the Director General Resettlement and recorded a certificate to that effect; and
- (iii) has obtained approval of the State Government.

5. Special provision regarding age limit.—For appointment to any vacancy in State Civil Services and posts Class III and Class IV, whether reserved or not under these rules every ex-servicemen who has put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age. If the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post or service for which he seeks appointment by more than three years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit.

6. Special provisions regarding educational qualification.—(1) For appointment to any reserved vacancy in Class IV posts of peon, Daftari, Jamadar and Record-sorter, every ex-servicemen, who has put in not less than three years service in the Armed Forces of the Union shall be exempted from the minimum educational qualification, if any prescribed in respect of such posts.

(2) For appointment to any reserved vacancy in Class III posts, the appointing authority may, at its discretion relax the minimum educational qualification, where such qualification prescribed is a pass in the Middle School Examination or any lower examination, in favour of ex-servicemen who have put in at least three years service in the Armed Forces of the Union and who are otherwise considered fit and suitable for appointment to such posts, in view of their experience and other qualifications.

96

विधि 4 (ग)]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 1986

promotees or transferees, an ex-servicemen shall be deemed to satisfy the prescribed educational or technical qualification if he,—

- (i) satisfies the educational or technical qualification prescribed for direct recruitment to the post from which promotion or transfer to the post in question is allowed, and
- (ii) has identical experience of work in a similar discipline and for the same number of years in the Armed Forces of the Union, as prescribed for promotees or transferees.

Explanation.—For the purposes of this rule, in computing the period of three years service there shall be added any period of service which an ex-servicemen has rendered while serving in a corresponding post or posts in a civil department, or a public sector undertaking or an autonomous organisation, whether under the Central Government or any State Government, or in a Nationalised Bank to the period of service rendered in the Armed Forces of the Union.

7. Amendment of recruitment rules.—All rules regulating the recruitment of persons of Class III and Class IV posts and services under the State Government shall be subject to the provisions of these rules and shall be construed accordingly.

8. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these rules, the question shall be decided by the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. N. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.